



निर्णय

निर्णय दिनांक: 16.10.2019

पत्रावली अपवादित खाता निस्तारण शिविर में पेश हुई। शिविर में प्रतिवादीया कुन्नी देवी स्वयं उपस्थित आई एवं वाद के अभिकथनों से सहमति जताते हुए वाद वादी स्वीकार करने में अपनी अनापत्ति जाहिर की। जवाब स्टेट की दफा 3 में तहसीलदार संगरिया द्वारा वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष से अपनी सहमति प्रकट की है। लिहाजा वाद वाद स्वीकार किया जाता है। वाद-पत्र की चरण संख्या 5 अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में संसोधन बाबत् तहसीलदार संगरिया को अलग से तहरीर जारी हो। निर्णय आज अपवादित खाता शिविर में सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

